न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए/112/2014

उनवान

1. लादुगर पिता गोकुलगर गुसाई निवासी लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 37/2012 निर्णय दिनांक 29.5.2014

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 14.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विपक्षी/आवंटी को ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2080 में रकबा 0.07 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में आवंटन हुई थी। मौके पर आवंटित भूमि में वर्तमान में मौके पर पत्थर की खान है एवं मौके पर पत्थर मौजूद हैं। वर्तमान में उक्त आराजी पर पत्थर होने से कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है। आवंटी को आवंटित भूमि कृषि योग्य नहीं होने से आवंटन निरस्त कराया जावे। अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2080 में से रकबा 0.07 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2081 में से 0.10 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने मौके पर वर्तमान में पत्थर की खान होने का अंकन करते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को आवंटित वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया । जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आवंटित आराजी पर मौके पर कोई खान नहीं है। दोनों ही आराजियात पर अपीलार्थी द्वारा काश्त की जा रही है। इस बाबत अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही भी की गई हैं । जमाबंदी में वादग्रस्त आराजियात की किस्म बंजड बीड अंकितहै। कब्जा वर्तमान में अपीलार्थी का है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को काश्त योग्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बनाने के लिए काफी मेहनत की है। पटवारी हल्का ने रंजिश के चलते गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसको आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जो खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का द्वार बनाई गई मौका रिपोर्ट पर न तो अपीलार्थी के हस्ताक्षर है एवं न ही किसी मौतबिर गवाह के हस्ताक्षर ही है। पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट तैयार की है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त आवंटन के समय से ही चला आ रहा है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है। आवंटित भूमि पर मौके पर पत्थर की खान होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी को ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2080 में रकबा 0.07 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में आवंटन हुई थी। अपीलार्थी का कथन है कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त है। उसने आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि पर काश्त की हैं परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के उपरान्त काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। धारा 91 के नोटिस आवंटन पूर्व वर्ष 2010 के संवत 2057, 2060 व 2062 के आंशिक भाग पर कब्जा होने के प्रस्तुत किये हैं। जबकि इसके विपरीत पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि '' मौका स्थिति के अनुसार उक्त आराजी नम्बर 2080, 2081 पर पत्थर की खान पाई गई। दोनों आराजी नम्बरों पर मौके पर पत्थर मौजूद है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नम्बरों की सुपुर्दगी नहीं की गई। ''पटवारी हल्का की रिपोर्ट से वादग्रस्त आराजियात पर पत्थर की खान होना व पत्थर होना प्रमाणित है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह गलत कैसे बनाई है इसका काई समुचित कारण अपीलार्थी ने नहीं दर्शाया है। यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्र दिनांक 6.1.2011 जो कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया है जिसमें उल्लेखित है कि आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग में आवंटनशुदा भूमि में सुपुर्दगी नामा अथवा नियमानुकूल आवंटन न होने पर आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव भिजवाएं। इस पत्र के उपरान्त पटवारी रिपोर्ट भिजवाई गई है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा आवंटन के उपरान्त काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को काश्त करने की शर्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर ही आवंटन किया गया था परन्तु अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात काश्त नहीं की है। मौके पर भूमि का उपयोग काश्त के लिए नहीं किया जाकर मौके पर पत्थर की खान होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक से पूर्व कोई मौका रिपोर्ट नही ली गई है न ही आवंटन का प्रारूप पत्र भरा गया है। जल्दबाजी में आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2014 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा